( राजस्थान–सरकार )

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या :– 18/2019**

**बउनवान**

1– कल्याण उम्र 65 वर्ष पुत्र श्यामलाल जाति मीणा निवासी बालापुरा तहसील छबडा
2– सुरेश उम्र 35 वर्ष पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी बालापुरा तहसील छबडा
3– बबलू उम्र 33 वर्ष पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी बालापुरा तहसील छबडा

(अपीलांट)

**बनाम**

तुलसा आयु 70 वर्ष पुत्री रधा उर्फ रूधा पत्नि रामनाथ जाति मीणा निवासी बरबटखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्ट)

**अपील विरूद्व तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या :– राजस्व/धारा 183 (बी)/2019/5/586 में पारित आदेश दिनांक 8.11.2019 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 (बी)**

उपस्थित :– 1– श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक (अपीलांट)
2– श्री मदनलाल गालव अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

**निर्णय दिनांक 30.12.2019**

अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अपील इस न्यायालय मे तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या राजस्व/धारा 183(बी)/2019/5/586 में पारित आदेश दि. 8.11.2019 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 (बी) तहत पारित आदेश के विरूद्व रेस्पोडेन्ट के प्रस्तुत की गई।

इस पर प्रस्तुत अपील को दिनांक 3.12.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक उपस्थिति दी गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण मे अन्तिम बहस उभयपक्ष के अभिभाषक की सुनी गई।

**अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस** प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 8.11.2019 को उक्त प्रकरण मे अपीलांट को ग्राम बालापुरा तहसील छबडा की आराजी खाता संख्या 65 के सहखातेदार तुलसां पुत्र रूधा के खसरा नम्बर 59 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 111 की रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 112 की रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा कुल 3 किता रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा मे 1/10 अर्थात हिस्सा 1 बीघा 10 बिस्वा पर अपीलांट [illegible] ता 3 को बेदखल कर रेस्पोडेन्ट तुलसा को कब्जा दिलाए जाने के आदेश पारित [illegible] है साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा से भी अपीलांट को पाबन्द किया है कि वे रेस्पोडेन्ट के शांति[illegible] कब्जे काश्त मे कब्जा दखलन्दाजी न करे। न्याय की मंशा के खिलाफ है। [illegible] द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्व होने से उसे अपास्त किया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:25:05 IST
Reason: SelfAttested

यह कि उक्त विवादित आराजियात पैत्रिक सम्पत्ति है जो रेस्पो0 के पिता रूधा की खातेदारी की है एवं रेस्पो0/प्रार्थीया अनुसूचित जाति जनजाति की सदस्या है तथा प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड मे जर्ये फोती इन्तकाल रूधा दर्ज हुआ है। किन्तु

रेस्पो0 / प्रार्थीया को उक्त विवादित आराजियात मे कानूनन कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हुए है। क्योकि रेस्पो0 / प्रार्थीया रूधा की पुत्री है। जिसकी शादी हुए 50 वर्ष से भी ज्यादा समय हो चुका है तथा उक्त आराजियात मे कानूनन अनुसूचित जनजाति की सदस्या होने से उसे कोई कानूनी खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है, मात्र राजस्व रिकार्ड मे फौती इन्तकाल से नाम दर्ज हो जाने से उक्त आराजी मे उसे कोई कानूनी रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। ना ही उसके जीवनकाल मे उक्त विवादित आराजियात पर उसका कोई कब्जा काश्त रहा है। अतः वह उक्त विवादित आराजियात बाबत उक्त 183 बी का वाद लाने हेतु अधिकृत नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

यह कि विवादित आराजियात मे केस का ईच एण्ड एवरी इंच हिस्से पर स्वामी हक माना जावे तो अन्य सहखातेदारान को न्यायहित मे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था, क्योकि प्रार्थीया / रेस्पो0 मात्र उक्त विवादित आराजियात के 1 / 10 हिस्से की सहखातेदारा है एवं रेस्पो0 द्वारा उक्त 1 / 10 हिस्सा जो उसके खातेदारी व स्वामित्व का है वह कौनसा हिस्सा है जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा कब्जा किए हुए है नही दर्शाया है जिसे वह अपीलांट को बेदखल करना चाहती है। क्योकि अपीलांट का रेस्पो0 के हिस्से पर कोई कब्जा काश्त नही है ना ही वह अपने हिस्से को साक्ष्य से प्रमाणित कर पाई है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजियात हिस्सा रूधा 3 / 10 आज से 50 वर्ष पूर्ण कल्याण अपीलांट के पिता श्यामलाल द्वारा रूधा से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था, तब से वह उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है।

यह कि रेस्पो0 का नाम खातेदारी मे दर्ज होने से उसके मन मे बदनियति आ गई है अतः उसने तथ्यों को छुपाते हुए उक्त कार्यवाही की है जो बेरून मियाद है। अपीलांट को उक्त आराजी पर जायज 12 साल से अधिक व जानकारी से कब्जा काश्त होने से हक मुखालफाना प्राप्त हो गया है। जिसका प्रथक से वाद खातेदारी अधिकारो की घोषणार्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा के यहॉ प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त कार्यवाही पोषणीय नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय भावनात्मक है जिन्होने उक्त तथ्यों पर कोई साक्ष्य लिए बिना निर्णय पारित करने मे गम्भीर भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश की पालना मे अपीलांट से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि का लगान 2.14 रूप्ये का 50 गुना 107– वर्ष 2016 से 2019 कुल 4 वर्षो के लिए 428 / – रूपये शास्ती किया है जो कतई गैरकानूनी है। रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र 183 (बी) खिलाफ कानून एवं बेरून मियाद होने से निरस्तनीय है। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत Suprem Court of India citation 2014 DNJ (SC) 228 एवं High Court Gulab V/S Board of Revenue & ors. R.R.D July 2006 page 464 व High Court Dheer Singh V/S Amar Singh & ors. R.R.D 199 page 25 प्रस्तुत किये जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

**इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक** द्वारा दौराने बहस कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम[illegible] किया गया है जिसमे किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। [illegible] 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि उसके पिता रूधा के फोत हो जाने के बाद उसे फौती इंतकाल से प्राप्त हुई है। अपीलांटगण ट्रेस पासर है। जिनका मेरी उक्त सहखातेदारी की आराजी पर किसी भी प्रकार से कब्जा किये जाने का कोई अधिकार प्राप्त नही होता है। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत 2003 आर.आर.डी. (**New**) पेज नं. 530 Mst. Chandudi V/s Ram chandra & ors. प्रस्तुत किये जाकर अपील खारिज फरमायी जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:25:05 IST
Reason: SelfAttested

**मेरे द्वारा प्रकरण मे उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की** बहस सुनी। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या राजस्व/धारा 183(बी)/2019/5/586 में पारित आदेश दि. 8.11.2019 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 (बी) एवं सम्पूर्ण अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। प्रकरण मे अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है। रेस्पोडेन्ट राजस्व रिकार्ड मे खातेदार कृषक है। प्रकरण मे प्रथम दृष्टया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना नही पाया जाता है।

अतः परिणाम स्वरूप अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या राजस्व/धारा183(बी)/2019/5/586 में पारित आदेश दिनांक 8.11.2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

**( मोहम्मद अबूबक्र )**
**अति0 जिला कलक्टर, बारॉ**

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:25:05 IST
Reason: SelfAttested



Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.01.08 16:12:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: